आरटीआई से भी ज्यादा धारदार होगा आरटीएस

कानून की समुचित मॉनिटरिंग भी की जाएगी : नीतीश, राइट टू सर्विस एक्ट परिषद में पारित

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

विधान परिषद में मंगलवार को राइट टू सर्विस एक्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से परिषद ने पारित कर दिया। इस विधेयक के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे हर हाल में 15 अगस्त को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य की जनता को एक और सशक्त अधिकार मिल जाएगा। यह कानून सूचना के अधिकार से भी ज्यादा सशक्त और धारदार होगा।

उन्होंने कहा कि इसमें हर सरकारी सेवा प्राप्त करने का निश्चित समय निर्धारित होगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर सेवा मुहैया कराने की जिम्मेदारी तय रहेगी । अगर निर्धारित समय सीमा में किसी व्यक्ति को सेवा मुहैया नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारियों पर आर्थिक दंड के अलावा कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों को अपीलीय प्राधिकार में भी जाने का हक होगा। इस कानून को लागू करने से पहले आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस समेत कुछ अन्य जरूरी कागजातों को अगर कोई जल्दी बनवाना चाहता है, तो इसके लिए अलग से शुल्क रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून की समुचित मॉनिटरिंग की जाएगी । इसके लिए कम्प्यूटर समेत अन्य तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। इस कानून का सरकार व्यापक प्रचार-प्रसार करवाएगी, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोक सेवकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा परिषद में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 353 को जमानती बनाने संबंधी संशोधन विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।